पी.सी. किशन, आई.ए.एस.
P.C. Kishan, I.A.S.

शासन सचिव
कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग
राजस्थान सरकार
Secretary
Skills, Employment & Entrepreneurship Department
Government of Rajasthan

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक: 72444
दिनांक: 4/8/2023

आदरणीय श्री भवानी सिंह शाब

युवाओं को रोजगारपरक बनाने हेतु शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उद्योगो के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, फलस्वरूप युवाओं को उद्योगों में स्थापित नवीनतम तकनीक पर आधारित मशीनों व उपकरणों पर स्वयं के हाथों से कार्य करने एवं कौशल अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है।

भारत सरकार ने शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 270 व्यवसाय अधिसूचित किये हुए हैं, जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुसार पृथक-पृथक 8th / 10th / 12th / B.SC. योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि (06 माह से 36 माह तक) निर्धारित है। शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर भारत सरकार की ओर से National Apprenticeship Certificate (NSQF L-5) प्रदान किया जाता है जो कि रोजगार/स्वरोजगार हेतु सर्वत्र मान्य होता है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षु को भारत सरकार द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति (रू 7000/-प्र.मा.) का भुगतान नियोजक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह एक अच्छी सीखो-कमाओ योजना है।

शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने, आवेदन करने, नियोजक द्वारा चयन करने, अनुबंध जारी करने से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन पोर्टल www.apprenticeship.gov.in के द्वारा किये जाते है जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ है। पोर्टल पर पंजीकरण की जानकारी प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर ही लघु अवधि की वीडियो फिल्मस् भी उपलब्ध हैं जो कि अत्यन्त सरल है।

इस योजना का लाभ महाविद्यालय में अध्ययनरत/उत्तीर्ण युवा भी उठा सकते हैं। यह प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा। अतः अनुरोध है कि आपके विभाग के अधीन संचालित होने वाले सभी राजकीय/निजी महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को जानकारी प्रदान करने एवं पोर्टल पर पंजीकरण कराने हेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करने का श्रम करें।

शुभेच्छु

(पी.सी. किशन)

श्री भवानी सिंह देथा,
प्रमुख शासन सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा,

कमरा नं.8121, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर-302005, फोन नं. +91-141-2227390 ई-मेल: secy.sec@rajasthan.gov.in
Room No.8121, S.S.O. Building, Secretariat, Jaipur-302005, Ph.: +91-141-2227390 E-mail: secy.sec@rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail. innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O).

Scanned with CamScanner

पत्रांक : CCE/ISDC/Mic./Direction/2022/241 दिनांक : 16 Aug. 2023

प्राचार्य, समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों को उक्त पत्र की प्रति पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र में उल्लेखित योजना के संबंध में छात्र/छात्राओं के हित में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया की जाकर समय-समय पर योजना की प्रगति रिपोर्ट कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को भिजवायें।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर के कार्यालय की डायरी क्रमांक 4591 दिनांक 07.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 72444 दिनांक 04.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. वैब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक
(डा. सीमा कश्यप)